

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
जमाबन्दी टाईटिल अपील (आर0एम0ए0) सं0-03/2010-11

राजा मुर्मू वगैरह
बनाम
भादो उर्फ जुगा हेम्ब्रम वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20.04.2022	आदेश यह अपीलवाद, अपीलकर्ता राजा मुर्मू, पिता-स्व0 चन्द्राई मुर्मू एवं डेडगा मुर्मू, पिता-स्व0 चन्द्राई मुर्मू, दोनों सा0-बोडालपोखर, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के राजस्व विविध वाद सं0-47/2002-03 में दिनांक 06.01.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध भादो उर्फ जुगा हेम्ब्रम, पिता-स्व0 लखन हेम्ब्रम, सा0-दुमदमी, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ वर्तमान पता-सा0-लखीरामपुर, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ एवं झारखण्ड राज्य को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।¹ मामला संक्षेप यह है कि इस वाद के उत्तरवादी सं0-01 भादो उर्फ जुगा हेम्ब्रम के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को एक आवेदन समर्पित किया गया कि मौजा-बोडालपोखर के जमाबन्दी सं0-20 में उनकी जमीन पर डेडगा मुर्मू तथा राजा मुर्मू (इस वाद के अपीलार्थी) द्वारा जबरदस्ती चास किया जाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। आवेदक द्वारा अपनी आयु 8 वर्ष बताई गई। उक्त आवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा राजस्व विविध वाद सं0-47/2002-03 प्रारंभ करते हुए सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.01.2010 को आदेश पारित किया गया जिसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0-20 के अन्तर्गत कुल रकवा-9-19-7 धूर जमीन पर आवेदक (इस वाद के उत्तरवादी सं0-01) का वैध दखल है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का मुख्य रूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में खतियानी रैयत भादो मुर्मू के नाम से दर्ज है। भादो मुर्मू की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि उनके दो पुत्रों बीरधन मुर्मू एवं ईश्वर मुर्मू को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। उक्त दोनों भाईयों द्वारा उक्त सम्पत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया गया एवं दोनों को बराबर	

/

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	हिस्सा प्राप्त हुआ। ईश्वर मुर्मू की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्रों जुगाई मुर्मू, चन्द्राई मुर्मू एवं इसराईल मुर्मू को अपने पिता के हिस्से की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई एवं तीनों भाईयों द्वारा सम्पत्ति का बराबर-बराबर बंटवारा कर लिया गया। तीनों भाईयों में से एक जुगाई मुर्मू की चार पुत्रियां हुई, उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। चारों पुत्रियों का विवाह साधारण रीति से कर दिया गया। चारों पुत्रियां अपने पति के घर रहने लगी। जुगाई मुर्मू की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की सम्पत्ति संथाल रीति के अनुसार उनके भाईयों चन्द्राई मुर्मू एवं इसराईल मुर्मू को उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई। उक्त चन्द्राई मुर्मू एवं इसराईल मुर्मू की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि के वैध उत्तराधिकारी हुए। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है। उत्तरवादी के द्वारा घरजमाई शादी से संबंधित एक जाली शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें किसी भी गवाह का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कागजात जाली एवं फर्जी है तथा कानून में इसकी कोई मान्यता नहीं है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर उत्तरवादीगण द्वारा पूर्व में कई फौजदारी मुकदमा दायर किया गया था। कि०अपील नं०-294/1989- 09/1990 में पारित आदेश के पृष्ठ सं०-06 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जुगाई मुर्मू की पुत्री की घरजमाई शादी संदेहजनक है। इसी प्रकार पी०सी०आर०वाद सं०-165/1995, टी०आर०नं०-868/2001 में पारित आदेश के पृष्ठ सं०-2, 6 एवं 7 में स्पष्ट किया गया है कि तथाकथित घरजमाईनामा कागजात जाली है। इसी प्रकार कि० केस नं०-556/2002 एवं टी०आर०केस नं०-616/2013 में उल्लेख है कि उत्तरवादी घरजमाईनामा कागजात एवं बंटवारा संबंधी कागजात को प्रमाणित करने में असफल रहे। उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरवादी के पूर्वज की घरजमाई रीति से शादी नहीं हुई थी एवं संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार उत्तरवादी का सम्पत्ति पर कोई हक/अधिकार नहीं है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जुगाई मुर्मू की चार पुत्रियां थी जिनमें से एक सुहागिनी मुर्मू उर्फ धनी मुर्मू की शादी संथाल परम्परा के अनुसार घरजमाई रीति से लखन हेम्ब्रम के साथ हुई थी। शादी के बाद पति लखन हेम्ब्रम अपनी पत्नी के घर	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	में रहकर उनके हिस्से की जमीन का शांतिपूर्वक भोग दखल करने लगे। घरजमाई शादी के प्रमाण स्वरूप एक शपथ पत्र एवं दिनांक 13.07.1979 को घरजमाईनामा कागजात तैयार किया गया। दोनों कागजातों की मूल प्रति न्यायालय में अवलोकनार्थ दाखिल किया गया एवं छायाप्रति List of document के रूप में दाखिल किया गया है। उनका आगे कहना है कि उक्त घरजमाईनामा कागजात को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है एवं बिना किसी साक्ष्य के इसे जाली कहना उचित नहीं है। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी का प्रश्नगत भूमि पर वैध रूप से दखल-कब्जा है तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने एवं अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि इस मामले में मुख्य बिन्दू जुगाई मुर्मू की पुत्री सुहागिनी मुर्मू उर्फ धनी मुर्मू की घरजमाई शादी का है। अपीलार्थी का कहना है कि उनकी शादी साधारण रीति से हुई थी और वो अपने पति के घर (ससुराल) में रहती है। अपने उक्त कथन के समर्थन में उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया जिससे किसी औचित्यपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत घरजमाईनामा कागजात तथा शपथ पत्र को फर्जी/जाली बताया गया है परन्तु यह कागजात फर्जी अथवा जाली किस प्रकार से है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। जहां तक प्रश्न किसी कागजात/दस्तावेज की वैधता के निर्धारण का है, वह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अपीलार्थी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई ऐसा आदेश दाखिल नहीं किया गया है जिसमें उक्त दस्तावेजों को अवैध ठहराया गया हो। जहां तक प्रश्न विभिन्न कि० केस में पारित आदेश का है तो उसमें घरजमाई कागजात के जाली या फर्जी होने की बात अपीलार्थी के द्वारा कही गई है। यह न्यायालय का finding नहीं है। किसी कागजात को संदेहजनक बताने का यह अर्थ नहीं है कि वो अवैध है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी के पूर्वज सुहागिनी मुर्मू उर्फ धनी मुर्मू की शादी घरजमाई रीति - रिवाज से हुई थी एवं ऐसी शादी के बाद संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार सम्पत्ति पर उनका <u>अपने</u> अपने <u>अपने</u> अधिकार उत्पन्न होता है। ऐसे में उत्तराधिकार के उनके इस हक को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील आवेदन में कोई मेरिट नहीं पाते हुए इसे खारिज किया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त पाकुड़।	20/4/20 उपायुक्त, पाकुड़।